

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 73/2021

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री वर्द्धमान जैन पुत्र श्री उमराव सिंह जैन , मैसर्स गौरव मसाला एण्ड ग्राइडिंग उद्योग, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश जी रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
2. मैसर्स गौरव मसाला एण्ड ग्राइडिंग उद्योग, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश जी रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा

26 की उप धारा (2) (II), धारा 31 की उपधारा 2, धारा 54 एवं धारा 58 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 श्री वर्द्धमान जैन

—: आदेश :—

दिनांक—08.10.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने बाह्य तत्व सम्मिलित (Containing Extraneous Matter) धनिया पाउडर का बिना वैद्य खाद्य अनुज्ञा पत्र के विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) एवं धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 54 व 58 में जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 24.12.2020 को 03:15 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स गौरव मसाला एण्ड ग्राइडिंग उद्योग अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री वर्द्धमान जैन मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से वर्ष 2020 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध नहीं



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

एवं मिथ्याछाप का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 02 किलोग्राम धनिया पाउडर में मिलावट 200/- रूपयें श्री वर्द्धमान जैन को नगद देकर गवाह श्री मनीष गुप्ता के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री वर्द्धमान जैन को सम्मलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा धनिया पाउडर को विक्रेता के सामने 04 साफ, सुखे, प्लास्टिक के जार में बराबर बाराबार मात्रा में भरकर प्रत्येक बोटल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-2616 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को स्वयं जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/2280 दिनांक 09.03.2021 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/713/एक्ट/2020/04 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया धनिया पाउडर बाह्य तत्व सम्मिलित (Containing Extraneous Matter) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय जाँच हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी सं 1 श्री वर्द्धमान जैन ने उपस्थित होकर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वे प्रतिदिन अलग-अलग तरह के मसालों व अन्य तरह के पिसाई का कार्य करते हैं। वे मसाले पीसकर नहीं बेचते हैं बल्कि आस पास के लोगों के खुदके द्वारा लाये गये मसालों को पीसकर उनको देता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से वे जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने न्यूनतम दण्ड लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया धनिया पाउडर बाह्य तत्व सम्मिलित (Containing Extraneous Matter) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक नियम 2011 के तहत पाया गया है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है। साथ ही अप्रार्थी बिना वैद्य खाद्य अनुज्ञा पत्र के खाद्य पदार्थ का व्यापार कर रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 31 की

न्याय निष्पायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर



उपधारा 2 के तहत बिना वैद्य खाद्य अनुज्ञापत्र के बाह्य तत्व सम्मिलित (Containing Extraneous Matter) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 54 व 58 में बाह्य तत्व सम्मिलित (Containing Extraneous Matter) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया है, अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगणको जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii), धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 54 व 58 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु.कुल 05,000/- (पाँच हजार) शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नामई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 08.10.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्योति ककवानी)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक : सरिस्ता/अपर/2025/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन अजमेर।
4. श्री वर्द्धमान जैन पुत्र श्री उमराव सिंह जैन, मैसर्स गौरव मसाला एण्ड ग्राइडिंग उद्योग, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश जी रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर
5. मैसर्स गौरव मसाला एण्ड ग्राइडिंग उद्योग, ढाणी पुरोहितान, खोड़ा गणेश जी रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर